

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

कमांक:—ई32/स्वा0/स्वा0निरी0/(890)/2019/

दिनांक:—

आदेश

राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ.20(1)एफ.डी/(प्रप-2)/92 दिनांक 25.01.92 एवं संशोधित आदेश कमांक: एफ.10(2)एफ.डी/रूल्स/98 दिनांक: 17.12.98 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए श्री अख्तर खॉं, स्वास्थ्य निरीक्षक को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी. पी. स्वीकृत की जाती है।

नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	संवर्ग मॅप्रथम नियुक्ति तिथि	वांछित तिथि को सेवा पूर्ण	एसीपी देय तिथि	27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय पे-बैंड व ग्रेड-पे
श्री अख्तर खॉं, स्वा0 निरी0	डूंगरपुर	03.01.1987	03.01.2014 (27वर्ष)	03.01.2014	पै-बैंड, 9300-34800 ग्रेड-पे, 4800

(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

कमांक:—ई32/स्वा0/स्वा0निरी0/(890)/2019/34

दिनांक:—21/1/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर को उनके पत्र कमांक: 3748 दिनांक: 18.09.2018 के सन्दर्भ में।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिछीवाडा (डूंगरपुर)।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करे।
4. आदेश पत्रावली।

अति० निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।